[Shri P. K. Deo]

of Shri Swaran Singh to go into this question, I would request all those persons who want to improve our Constitution to give a thought to this aspect.

17 hrs.

With these words, I think, my purpose has been served and I beg leave of the House to withdraw my Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Shri P. K. Deo to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

SHRI P. K. DEO: I withdraw the Bill.

17.01 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 75)

MR. CHAIRMAN: We now take up the Bill of Shri Bibhuti Mishra.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे विधेयक का उद्देश्य यह है कि संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन किया जाये। यह विधेयक बहुत ही पवित्र और निरापद है। इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स से इस बात का पता चल जायेगा कि मैंने इस विधेयक को क्यों प्रस्तुत किया है।

दुनिया के विभिन्न देशों में कई प्रकार की शासन-प्रणालियां रही हैं। कहीं राजा हैं, कहीं आलिगार्की है, कहीं प्रजातन्त्र है, कहीं समाजवादी सरकार है और कहीं साम्यवादी सरकार है। लेकिन दुनिया में कहीं चैन नहीं है, हर जगह गद्दी के लिए अशान्ति है। इससे मालूम होता है कि अभी तक दुनिया में राज्य को चलाने के लिए कोई फूलप्रूफ फार्मूला तैयार नहीं हो पाया है।

सुनते हैं कि पहले जमाने में राजा लोग कुछ समय के बाद स्वत: रिटायर हो जाते थे और अपने लड़के को गद्दी दे देते थे, अथवा उस जमाने की इनटेलेक्चुअल क्लास, पंडित लोग, राजा से गद्दी छोड़ने के लिए कह देते थे। जिन्होंने पुराणों को पढ़ा है, उनको पता होगा कि कभी कभी राजा गड़बड़ करते थे, तो प्रजा उन को हटा देती थी। भागवत् पुराण से यह बात पता चलेगी।

मेरे मन में क्यों यह इच्छा हुई कि इस बिल को लाया जाये? मैंने देखा कि कुछ स्टेट्स में मिनिस्टरशिप के लिए झगड़े चले आ रहे हैं, कई लोग तीन चार टर्म तक मिनिस्टर बने रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आकांक्षा पूरी नहीं होती है। जब आदमी एक बार मिनिस्टर बन जाता है, तो ऐसा चक्कर बना देता है कि वह वहां से जल्दी हटना नहीं चाहता है।

मैंने सोचा कि इस स्थिति में सुधार करने के लिये एक बिल लाना चाहिए। मुझे पंडित जी की याद आ गई। उन्होंने एक कामराज प्लान चलाया था। पंडित जी ने चलाया, या श्री कामराज ने चलाया, इस समय इसमें जाने की जरूरत नहीं है। उस प्लान के अन्तर्गत कुछ स्टेट्स के मन्त्री हटे और कुछ मन्त्री केन्द्र के हटे। इसका उद्देश्य यह था कि उन्हें यह पता चले कि गद्दी पर रहने से क्या स्थिति होती है और वहां से हटने के बाद आम जनता की सेवा करने से पता चले कि जनता के दुख-दर्द क्या हैं। दुनिया में पहली बार इस प्रकार की योजना चलाई गई।

लेकिन मैं समझता हूं कि वह प्लान श्री कामराज की जिन्दगी में ही अधिक सफलीभूत

नहीं हुई, और परिस्थिति जहां की तहां रही। आज हम सम्पत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, और चीजों का बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन जितनी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उन सब में यह लिखा है कि राजतन्त्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए सब उसके लिए होड़ लगाते हैं। तो फिर इस पर कैसे नियन्त्रण लगाया जाये ? अगर मनुष्य मरणशील न होता—मैन इज मार्टल—, तो वह जन्म-भर गद्दी पर रहता। अब लोग कहते हैं कि दो साल हुए, एक्सपीरिएंस हुआ, मगर फर्ज कीजिए कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, मर गया तो उस बाद उसके काम को कौन देखेगा ? कहीं ऐक्सीडेंट हो गया, उसमें मर गए तो कौन काम देखेगा ? तो दुनिया तो बन्द नहीं होती है। यह दलील उचित दलील नहीं है कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। गांधी जी नहीं रहे, राम कृष्ण नहीं रहे, ईसा मसीह नहीं रहे, बुद्ध भगवान नहीं रहे और महावीर नहीं रहे, तब भी दुनिया चलती आई और चल रही है। हम आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगी हमारी आप की आयु 100 वर्ष से ज्यादा नहीं है और जो सौ वर्ष का हो जाता है वह शरीर से शक्तिहीन हो जाता है। तो वह कोई कहे कि हम रहेंगे तभी दुनिया चलेगी या अमुक नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगी, यह गलत बात है।

इसलिए शक्ति के बंटवारे के लिए जरूरी है कि दो टर्म दीजिए। उस आदमी को पता चल जायगा, कुछ ट्रेनिंग मिल जायगी, फिर गांवों में जायगा। दूसरा आदमी मिनिस्टर हो जायेगा। उसको ट्रेनिंग मिल जायगी, शक्ति का भी बंटवारा होगा और बड़े पैमाने पर लोग मन्त्री भी हो जाएंगे। उनको ज्ञान भी हो जायगा कि सरकार क्या है ? सरकार की बातों का भी ज्ञान हो जायगा। मान लीजिए अगर स्कूल कालेजों में थोड़े से ही लड़कों को पढ़ाया जाय तो और लड़के तो मूर्ख ही रह जाएंगे। इसलिए बड़े पैमाने पर इस को करना चाहिए और मैंने सोचा कि हिन्दुस्तान इसमें आगे बढ़े क्यों कि पंडित जी ने कामराज प्लान चलाया था तो पंडित जी ने कोई फिलास्फी तो लिखी नहीं, कामराज ने कोई फिलास्फी नहीं लिखी। लेकिन हिन्दुस्तान में एक नई बात की शुरूआत हुई कि बहुत दिनों तक किसी को मन्त्री नहीं रहना चाहिए यह बुनियादी बात तय हो गई लेकिन उसके बाद वह चला नहीं और नहीं चलने का कारण यह है कि स्टेट में झगड़े चलते हैं। सेंटर में तो अभी झगड़े होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। पहले थी। पहले अपनी जिन्दगी में मैंने देखा है कि सेंटर में कुछ गड़बड़ी होने वाली थी लेकिन पंडित जी का व्यक्तित्व था जिससे यह मामला दब गया। लेकिन इस बात को मैं महसूस करता हूं कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। एक ही आदमी के नाम बन्दोबस्त नहीं होना चाहिए। एक ही आदमी का यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वही जन्म भर रहे जबकि प्रकृति किसी आदमी को बहुत दिनों तक नहीं रखती। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सोचे और दुनिया में कोई दीर्घजीवी तो रहा नहीं। हिन्दुस्तान का ही इतिहास देखिए, कितने राजा महाराजा आए, कितनी गवनमेंटस आई और चली गईं। दुनिया के इतिहास को देखें कि कितना उलट फेर आया कितने लोग आए कितने गए। इन सब बातों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर सोचे और विचार करे। नहीं तो आज काहे का झगड़ा है। यह जो एमर्जेंसी लगाई यह किस लिए लगाई गई ? विरोधी पार्टी चाहती थी कि कितने दिनों तक हम बाहर रहें, वे गद्दी पर आना चाहते थे और कांग्रेस सरकार को कम्पीट नहीं कर सकते थे। उसका नतीजा हुआ कि बहुत सारी गड़बड़ करने लगे तो सरकार को एमरजेंसी लगानी पड़ी।

इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि इस देश को चलाना है और कोई इस देश में अमर नहीं रहने वाला है तो इसके लिए कोई एक बुनियादी चीज कायम की जाये।

[श्री विभूति मिश्र]

दूसरी बात इसमें यह है कि तनख्वाह 1500 रुपये महीने बंगले सहित कीजिए। यह बिल जब मैंने दिया उस समय आप भी शायद इस हाउस के सदस्य थे, 40 या 30 रुपये हम लोगों को बताया गया कि पर-कैपिटा इनकम है। हिन्दुस्तान में गरीब से से गरीब आदमी 40 रुपये पर निर्वाह करता है और ऐसे 60 प्रतिशत लोग हिन्दुस्तान में हैं। जब 60 प्रतिशत लोग 40 रु० महीने में गुजर करते हैं तो हमारे एक मिनिस्टर को बंगले सहित 1500 रुपये में गुजर करने में क्या दिक्कत है। वियतनाम में एक और पांच का फर्क है आदमी आमदनी में, चाइना में भी ऐसे ही है। और देशों का मुझे पता नहीं है। अब हमारे साथी उदाहरण देते हैं इंग्लैण्ड, अमेरिका का और फ्रांस का। वे धनी देश हैं। उनकी कालोनियां दुनिया में थी और वे दुनिया को लूट कर धनी बने हैं। इसलिए वे इतना देते हैं। लेकिन चीन शोषित देश रहा है, वह इतना कैसे दे सकता है? रशिया का मुझे पता नहीं है। आप ज्यादा जानते होंगे। लेकिन वियतनाम का हमने सुना कि 1 और 5 का फर्क वहां है। इसको देखते हुए और देश की हालत को देखते हुए हम को भी देखना चाहिए कि कितना हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। कि अगर अमरीका, रूस या कोई दूसरा देश देता हो तो हम भी उसी हिसाब से देने लगें। इस तरह से हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी हालत भी देखनी चाहिये। तेते पांव पसारिये कि जेते लांबी सौर। जितनी औकात हो उसी के अनुसार देना चाहिये। आखिर वह 60 परसैन्ट आदमी हमारे वोटर्स हैं जिनकी आमदनी 40 रुपया महीना है। उनके वोट लेकर हम यहां पर आये हैं तो हम इतना क्यों पायें। इस देश की जो दौलत है उसका बटवारा समुचित रूप से होना चाहिये और उसका कोई तरीका सरकार को निकालना चाहिये। अधिक से अधिक और कम से कम क्या मिलना चाहिये उसका कोई तरीका अभी तक सरकार ने नहीं निकाला है।

सभापति महोदय : आप एक नमूना बनाना चाहते हैं कि मिनिस्टर्स की पे मुकर्रर करके ताकि जो बड़े-बड़े धनी और कैपिटे-लिस्ट हैं उनकी रोज की बेतहाशा आमदनी को भी रोका जा सके।

श्री विभूति मिश्र : जी हां। एक अमेरिकन राइटर, डेनियल विल ने किताब लिखी हैं जिसमें उसने लिखा है कि सब ताकत राजतन्त्र में है। स्टैलिन ने करे साइंटिस्ट्स को मरवा दिया, और देशों में भी मरवा दिया गया लेकिन सवाल यह है कि हम सब पण्डित हों परन्तु हमारी विद्या और पंडिताई काम नहीं आती है, काम आता है राजतन्त्र। अगर राजतन्त्र ठीक हो तो पूंजीपतियों को ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असममें जमींदारी समाप्त हो गई, बहुत से कारखानों का राष्ट्रीय-करण किया गया। यदि राजतन्त्र समझ ले कि हमको यह काम करना है तभी वह काम हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज-तंत्र ठीक से चले। जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स हैं वह जानते है कि हमारी क्या गरीबी थी, हम किस तरह से चन्दा इकट्ठा करते थे। हम बाजार में भीख मांगते थे। सब्जी, दाल, चावल और नमक की भीख मांगते थे और उसको लाकर के खाते थे। स्वराज की लड़ाई लडते हुये जब हम जेल जाते थे तो हमारे चेहरे पर शिकन नहीं होती थी। हमने वह दिन देखा हुआ है और जब आज का दिन देखते हैं तो मालूम होता है कि हम पहले कहां थे और आज कहां हैं। हो सकता है, मुझे हार्ट की बीमारी है, मैं कल मर जाऊं या परसों मर जाऊं लेकिन मैं

चाहता हूं कि इस सदन में मैं कह जाऊं कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा दिन आने वाला है जब दुनियां हिल जायेगी। इसलिये जरूरत इस बात की है, मैं इस सदन से और देश के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई ऐसा कायदा बनाया जाये। आज यह चर्चा चल गई है कि नसबन्दी कराओ। नसबन्दी की चर्चा इसलिये चल गई कि देश में पापुलेशन ज्यादा है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि दो लड़कों के बाद तीसरा लड़का ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा या तीसरे के बाद चौथा ज्यादा इंटेलीजेन्ट नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है लेकिन चूंकि सरकार को जरूरत पड़ गई है कि देश में ज्यादा आदमी नहीं इसलिये वह देश में नशबन्दी को लागू कर रही है। अगर सीधे रूप में कहा जाये कि आगे आने वाली जेनेरेशन को कमजोर कर रहे हैं लेकिन राजतंत्र आज यही चाहता है कि उनकी आज आवश्यकता है कि नसबन्दी कराई जाये क्योंकि देश इतने आदमियों को खिला नहीं सकता है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार को इस बात पर भी सोचना है, हम अमर नहीं हैं, हमारे कल न रहने पर क्या स्थिति होगी। कल को इस गरीब देश में लोग कहेंगे कि फलाना आदमी इतना पाता था, फलाना इतना पाता था, फलाने ने इतने दिन मिनिस्ट्री की लेकिन हमने क्या किया? हम लोग तो गांधी जी से ट्रेनिंग पाये हुये हैं, किसीसे भी कम योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन खुशामद-बरामद का गुण हममें नहीं है। हम गांधी जी के साथ डिसिप्लिंड रहे, किसी के सामने मुंह खोलते हुये हमें दिक्कत होती है कि हमें फलानी चीज दो। लेकिन आज ऐसे लोग है भी हैं जो हर-फन-मौला हैं। जो इधर भी रहे और उधर भी रहे, माफी मांग कर आ गये, लेकिन आज मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे हुये हैं, अंग्रेजों का साथ दिया, हमको जेल भिजवाया, लेकिन आज गद्दी पर बैठे हुये हैं।

इसलिये सभापति जी, मैं चाहता हूं कि राजतन्त्र की शक्ति का बटवारा हो, जो राजतंत्र का रुपया-पैसा है वह किसी को कैसे दिया जाय; इसके लिये किसी आचार-संहिता की जरूरत है। मेरा विधेयक तो इस दिशा में एक शुरुआत है, एक नाममात्र की चीज है, पूर्ण विधेयक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा मैं अपनी सरकार से कहूं कि वह कोई आचार संहिता बनाये, जिसके अनुसार देश का प्रशासन चले। जब यह देश एक आचार-संहिता के अनुसार चलेगा, तब ही आगे बढ़ सकेगा। इसके लिये दुनियां में जितना भी वाद-विवाद हो, वाद हो, विवाद न हो जितनी भी चर्चा हो जाय वह थोड़ी है क्योंकि अब तक दुनियां में इसके लिये कोई फूल-प्रूफ फार्मूला नहीं निकला है कि राजतन्त्र की शक्ति, राजतन्त्र की मालीचीजों का किस तरह से बटवारा हो। जमीन पर सीलिंग हम लगा रहे हैं। कारखानों पर इन्कम-टैक्स लगा रहे हैं लेकिन इन सब से जो सेल-प्रोसीड्स आती है उसके भोगने पर कोई सीलिंग नहीं है। इसका भोग कौन करेंगे—इस पर सीलिंग होनी चाहिये।

मैंने यह बिल तो एक नाम-मात्र को रखा है लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ला-मिनिस्टर साहब इस पर खोज करें। हम तो अब बूढ़े हो गये दो-तीन घन्टे मैंने पढ़ा है, लेकिन वह काफी नहीं है आप तो नौजवान हैं मुझ से ज्यादा पढ़ सकते हैं खूब अध्ययन करके एक आचार-संहिता बनायें। मैं यह भी कह देना चाहता हूं—अगर आप नहीं करेंगे तो कल जो दुनिया आने वाली है, वह बड़ी विकट दुनिया होगी। सभापति जी मैंने छात्रों से बातचीत की वे कहते हैं कि आप जो पुराने दस-बीस आदमी हैं—वे तो गाय हैं, हम लोगों को गाय कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जब आप लोग जनता के सामने जाते हैं तो जनता आपकी पुरानी कुर्बानियों को देख कर रीझ जाती है, आपको वोट

[श्री विभूति मिश्र]

दे देती है। लेकिन अब आगे हर पार्टी में बी०ए०, एम०ए०, प्रोफेसर, लायर, बिजनेस मैन—ऐसे लोग आयेंगे तब मुकाबला होगा, उनका जवाब हम देंगे और हमारा जवाब वे देंगे—उस समय जनता के पास इस तरह का कोई कन्सीडेशन नहीं होगा तो उस समय इस देश में जो गड़बड़ी होगी, उसको रोकने के लिये, असन्तोष पैदा न हो, इस दृष्टि से सरकार को पहले से एक आचार-संहिता बना कर रखनी चाहिए, जिसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो कि राजतंत्र की जा शक्ति है, उसका बटवारा कैसे होगा? कितने दिन तक या कितने टर्म तक कोई आदमी मिनिस्टर बन सकता है, कितने दिनों तक वह मेम्बर रह सकता है, उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या-क्या सहूलियतें मिलेंगी।

सभापति जी, जैसे रूस में कहा जाता है—

"Be of the people, be with the people and for the people."

मैं पूछता हूं—ईमानदारी से बताइये कितने लोग आज "विद-दि-पीपल" हैं। आज गांवों में 60 परसेन्ट आदमी भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो जूते पहनते होंगे, लेकिन क्या हम गांव में बगैर जूते के जा सकते हैं। अभी चार-पांच दिन की पद-यात्रा कांग्रेस जनों ने की और लौट आये। लेकिन इस देश की 60 प्रतिशत जनता को देखते हुए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर विचार करें, अध्ययन करें और एक आचार-संहिता बना कर प्रधान मंत्री जी को दें, मेरा ख्याल है—प्रधान मंत्री जी जरूर उस पर विचार करेंगी। गांधी जी की एक किताब है—गांधी-एक्स्पेक्ट्स, उसमें गांधी जी ने लिखा है कि मिनिस्टर, मेम्बर, सब को किस तरह से रहना चाहिए, लेकिन आज मैं देखता हूं कि गांधी जी की उस आचार-संहिता की जो मनोभावना थी, वह अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। विनोबा जी भी अब बूढ़े हो गये हैं, उनकी जो आचार-संहिता है, वह भी अब आगे दिखाई नहीं देती हैं। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है—आज हम पूरे राजतन्त्र को भोग रहे हैं, क्योंकि आज देश में आपात्कालीन स्थिति है, एक दल दूसरे तरह की बात चाहता है, इसलिए हम दूसरे तरह की बात चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक आचार संहिता बने, कितना मिनिस्टर को मिलेगा, कितना मेम्बर को मिलेगा, इस देश में जो आय होगी, उसका किस तरह से जनता के हित में बटवारा होगा जिसके फलस्वरूप जनता में भी संतोष होगा। तब मालूम होगा कि इस देश में वास्तव में सोशलिज्म है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, सभापति जी, फ़र्क है। अभी हम एक स्टेज पर हैं, सोशलिज्म के स्टेज पर हैं। तो कम से कम सोशलिज्म के स्टेज पर यह पता चले कि हिन्दुस्तान में वह कैसे आयेगा और उसको लाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार मेरे विधेयक पर विचार करे क्योंकि असली चीज है राजतंत्र की ताकत और इसमें सरकार को यह देखना चाहिए कि किस को कितना देना चाहिए। इस पर विचार करने के बाद सरकार को इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए।

मैं मंत्री जी से कहूंगा, ये अभी मंत्री हुए हैं और शरीर से शक्तिशाली हैं और हृष्टपुष्ट हैं, कि वे एक आचार संहिता बनायें और यह न कहें कि इंगलैंड में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है और रूस में ऐसा है। यह बात नहीं होनी चाहिए। वे इस बात की सोचें कि कैसे हम इसको करें। हमारा देश साधुओं, फ़कीरों और ऋषिमुनियों का देश रहा है और हमें अपना जीवन उनके जैसा बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए तभी इस देश में राजतन्त्र अच्छी तरह से चल सकेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे इस विधेयक को स्वीकार करें।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): Mr. Chairman, Sir, I share the thinking of my hon. friend Shri Bibhuti Mishra who has brought forward this measure. He has, in his lucid speech, made out a point that there ought to be a fixed term for those who hold offices. In the Statement of Objects and Reasons he has said that the purpose of his Bill is to remove monopoly of power. Well, Sir, I have not been able to understand this particular expression here; it should be "vested interest in power", but I do appreciate the feeling that there ought to be some kind of fixation of the term for which a person can remain a Minister.

I am in complete agreement with him that if a person continues to be a Minister for a long time, he starts feeling, he develops an idea of indispensability, and he also tries to surround himself with an aura of indispensability to the party and the country and does everything possible to perpetuate himself in power. The result is, there is a certain amount of jealousy, bitterness and resentment against him.

The prolonged association with office so far as that particular person is concerned, also creates in him a certain amount of staleness and kills initiative and the zest for work.

Therefore, I agree that there should be some restriction on these terms.

You will agree that if the same kind of persons are appointed to the same office, every time, it inhibits the growth of talent in the party and that really promising and talented people are not able to get on to the top because they are not able to maneuvre, they are unable to manipulate to go to the top position. This is not a new thinking which Shri Mishra has just placed before us.

For example, he referred to the Kamraj Plan. Earlier to Kamraj Plan, Shri Sanjiva Reddy had mooted out the idea that a person should not remain a minister for more than two terms. Panditji by introducing this Kamraj plan had tried once again to re-establish respect for sacrifice and service which have come to be associated with one office only and that is why he had withdrawn some of the important friends from offices so that they could work with the people and also re-invigorate the party which sent them to the offices.

If a person ceases to be a Minister or is not re-elected again on account of certain conventions, to that extent he does not cease to be an important person nor does he cease to have influence in the party our outside. Actually, by virtue of his contributions and services to the party and to the Government and to the country the person continues to wield considerable influence due to his moral authority and stature. Mahatma Gandhi was not even a four-anna member of the Congress party; still the Congress always sought his advise and guidance on all matters. Therefore, the idea that has been mooted by Shri Bibuti Mishra through this Bill is nothing new.

You might recall that Shri B. G. Kher was the Chief Minister of Bombay for two terms and he voluntarily retired from Chief Ministership of Bombay in 1952 when the General Elections came making way for the next man, Shri Morarji Desai. For that reason, Shri B. G. Kher did not lose his influence in Bombay or, for that matter, in the country. On the contrary, his morel prestige had gone up very high. Panditji did not leave him alone and he made use of his services and sent him as High Commissioner for India in London.

Such an India is not confined to our country alone. You are aware that formerly in the U.S.A., there was a convention in regard to the term of

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

Office of the President that a person could not be eligible for election consequently for more than two terms. President Roosevelt broke this convention and got himself elected for the Fourth term. After President Truman, the Republican Party came to power. They adopted a statute by which they fixed the term at two consecutive terms so that no person can be eligible for election as President for more than two terms.

Sir, this kind of thinking has also been going on in the U.S.S.R. and, when the Twenty-second Congress took place, they did adopt a provision of this kind that a person should not be re-elected consecutively for more three terms but, after a lapse of some years, he can be re-elected to the same office. Later on, they did not give effect to this provision but this thinking is still going on there.

Recently, in England, as you are aware, Shri Harold Wilson laid down his office after having served as Prime Minister for ten years. He is not an old man. As you know, he has still a lot of kicks left in him. He decided to lay down his office to make room for some other persons thereby setting up a very noble convention. This does not impoverish the party nor does it create a feeling that a certain person is indispensable and if he goes, the party goes or the country goes. Nobody is indispensable in the country and nobody should consider himself or almost equate himself with the country itself, or identify himself as the country.

Therefore, Shri Bibhuti Mishra has served a good purpose by focussing our attention on this important point and I do hope the Government will take it into consideration and try to evolve either a convention or make some law whereby a person should not hold office for more than two terms. I would say Shri Bibhuti Mishra's attempt is half-hearted as he talks of the Ministers only and not of the Prime Minister. I would like to say that nobody should be considered indispensable.

The second provision of this Bill is about the salary of the Ministers. Shri Mishra has himself said that this measures was conceived of by him in 1972 and there is no relevance to the present day situation nor does he consider his suggestion as sacrosanct but he feels because 60 per cent of the people live below the proverty line it does not look nice that the Ministers should continue to enjoy privileges far out of proportion to the general pattern of living in the country and, therefore, he has suggested that a certain code of conduct should be evolved.

For quite some time now we have been thinking of fixing the ratio between the upper limit and the lower limit of a person's income and to reduce the gap between the two. This has been before us for quite some time and earlier we thought of the ratio as 1 : 30. In other countries it has also been thought of. After the revolution in Russia they fixed the ratio at 1 : 175 but later on they raised it to 1 : 5. Therefore, I do commend to the Government that they should give greater thought to this question and in this revolutionary decade or the era in which we are living they must take some revolutionary steps and a decision to fix the ratio between the minimum and the maximum should be taken. There is nobody to challenge or go to any court in the event of your taking such a decision. There is no obstacle. Therefore, Government must come out with their decision on this point.

My friend, Shri Bibhuti Mishra perhaps inadvertently spoke about the Emergency situation as having been proclaimed mostly to protect the party in power whereas so far we have been told that it was not so and it was only to take the country on the road to progress. I do not want to join issue with him. All I want to submit is that Shri Bibhuti Mishra has been ac-

tuated by a laudable intention in bringing forward this measure. Government ought to give full consideration to this subject. There must be some kind of ceiling on the terms for which a person can hold office. Secondly, there must be a minimum and maximum income fixed so that a great deal of the noise we make about disparities etc. will disappear. Only the other day when we were discussing the question of judges' salaries, it was said that judges should not be paid more than what they are getting today because we are not thinking of the common man You are knocking off what you promised to the LIC employees. An anomaly has now been created because yesterday the Calcutta High Court has said that you cannot stop the payment of bonus to them Here the government brought forward a Bill which has been passed. Why should such a situation arise? Why not take a decision once for all as to the pattern of salary-structure we are aiming at? This question should not be put off.

With these words, I support the Bill The government should give the fullest thought to this question and set an example before the people that they are not taking any more privileges than they should. This is the Congress tradition. After 1936, the ministers started with a salary of Rs. 500 I do concede that with inflation, the salary should go up and have some relation to prevailing situation. But they should set an example to others in austerity. With these words, I support the laudable objective behind the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, If you kindly permit me, I want to add the following words to clause 2:

"Every Member of Lok Sabha shall be appointed as Minister for a year during his term."

सभापति महोदय : आज यह खत्म नहीं हो रहा है। आप मेहरबानी करके अपनी अमेंडमेंट स्पीकर साहब के कंसीडर करने के लिये भेज दें।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक मेम्बर 5 साल के लिये आता है। अगर हरेक एक-एक साल के लिये मंत्री हो जाये तो हरेक को कम-से-कम कुछ तो तसल्ली हो जाये।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Sir, the spirit with which Shri Bibhuti Mishra, the old Gandhian he is, has moved this Bill is very laudable. As Satyendra Narayanji just now said, when the Kher Ministry was formed in Bombay after 1936, just before the advent of war, they started with this laudable objective of having a salary of Rs. 500. But unfortunately, as Satyendra Narayanji knows, regarding the Gandhian concept of travelling in the common class—known then as third class—and living on Rs. 500, which was still a good pay packed at that time, there were in course of time difficulties in implementation. I distinctly remember in the very early stages travelling with a Parliamentary Secretary in inter class. He had such a big bunch of files with him that it was impractical for him to travel in inter class to be relevant and effective as Parliamentary Secretary. But in course of time, this fell into disuse, but not the spirit behind it and to that extent, we welcome Shri Bibhuti Mishra's principle of simple living and high thinking by all leaders of society, who should be able to guide and place before our youth and the common people of our country the ideal life and to give a guidance as to how they should fashion their own lives. However, the hard realities of life do not permit this I would, therefore, take your suggestion that as long as we are living in a system of dispparities, the fundamental task of all leadership should be to remove the disparities. I would, therefore, urge

[Shri B. V. Naik]

that the option as to how a Minister should live, what should be his remuneration, what should be his style of living, whether there should or should not be air-conditioning in his residence, should be left open. If the proceedings of this House were not to be conducted under airconditioned circumstances, a few of us were fairly sweating with the external heat, not that we would be decimated or physically incapacitated, but there is a possibility that under adverse physical environmental circumstances, we might have been short-tempered, peevish or might not have been able to concentrate on our work. I would not quarrel with

जिस काम को करने के लिए हम यहां बैठे हैं, हम उसको अच्छी तरह न कर सकते। हम श्री विभूति मिश्र के बिल को अच्छी तरह से न पढ़ सकते। सभी तरह की मुश्किलात होतीं। उनसे बचने के लिए ही हमारे नेताओं ने एक ऐसा पार्लियामेंट हाउस बना दिया है।

this physical amenity as long as it creates an atmosphere of efficiency, as long as the tasks for which the hon. Members of this august House are meant, are fulfilling faithfully. To that extent, I think, we should not quarrel with those efficiency inducing gadgets by which a Minister, a Member, an executive, a leader is to perform or to carry out his responsibilities. But then, comes the question of where do we exactly draw the line I would say or my friend Mr. Mohsin would say that for fulfilling his duty properly, the ideal would be a sort of Alcutte helicopter so that as a Home Minister, he can travel. Is it possible for this country to afford it? I would say, no. Is it possible for every Chief Minister of every State to afford a sort of five or six seater plane? I would say, no. But in case our country is self-sufficient, we would not grudge the highest authority to enjoy all the facilities for his performance as chief executive or some other responsibilities. Naturally, we come to the question as to where in the social hierarchy, does a Minister stand in our country. The points raised by Mr. Mishra are so fundamental and serious that we should be able to give our respect that they deserve. In our country, in the name of efficiency, the living standard adopted by the highest income group is something fantastic. I think, if we measure the disparity in our country that exists between the rich and the poor, it will be, perhaps, in the ratio of 1:10,000, if not more. I am quite sure that the highest income in this country is Rs. 10,000, if not more. Years ago, the idea of having 1:50 as the ratio was mooted. But now, one of the misfortunes of our country during the last 27 years of development is—I would like to get figures to the contrary; it just cannot be proved—that the disparities have increased. And we are aware of the fact that the leadership.

(*Interruption*) kindly give me a few minutes, Sir, so that I can complete the whole theme.

SHRI S. M. BANERJEE: Since the Law Minister is here, I would like to know something. We have received some news that the Calcutta High Court—where the question of bonus for the LIC employees was discussed and a judgement was to be delivered to-day, as Mr. Somnath Chatterjee had said yesterday—has given the judgement that bonus cannot be deducted. And since the Law Minister is here, I would like to know whether he has any information; and if so, whether he would convey it to this House, the other House may also be informed so that the mischief which was done here, need not be done there.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: I heard it only here. I did not go to the office since I came here this

morning. I left the office at about 10 o'clock.

SHRI S. M. BANERJEE: There are still 15 minutes left. Can you kindly let us know?

MR. CHAIRMAN: The Minister may not it. He can reply on Monday.

SHRI B. V. NAIK: I think I should really compliment Mr. Banerjee on his perseverance. He seems to be a votary of the continuation of the disparity even among the working people. I would not digress; I am coming back to the question of disparities. I hope the Government comes forward as soon as possible with a national policy on this. The poverty line starts at Rs. 200/-. Even if we think in terms of Rs. 200/- per family, and the ratio of 1:50 were to be accepted, is it within the realm of practical possibilities, i.e. this Rs. 200/- for the poorest family? Of course, it is the bottom line, the poverty line. Fifty times Rs. 200/- would come to Rs. 10,000 as a monthly income per family. If we are able to aim at this as our objective, in other words, if we have a ceiling on income, would an income of Rs. 10,000/- per family keep a person in good health, good domestic relations, good comfort and good efficiency?

Tomorrow, our Mr. Mishraji himself might become a Minister. Who knows? For all his sincerity and the zest for life, he is one of the youngest elderly people in our House who takes so much interest in its proceedings; and I do not see any reason why he should not become a Minister. I would not like to deprive Mr. Mishra—once he becomes a Minister and once he wants and needs it—of the highest level of income in this country for the period he is there. Let us not create a leadership and then tell them that compared to the man who is doing money-lending, to somebody who is doing indigenous banking, to somebody who is doing black-marketing or smuggling, the posts which we have created to-day ourselves are something inferior from the point of view of monetary remuneration. Let the Ministers, *suo motu*, if they want to put the Gandhian principles into practice, take Rs. 10,000 and then donate Rs. 9,000/-. But they should be entitled to the highest level of income in this country; but not the highest level that is artificially pegged up in this country, where the system is not working properly.

In regard to the second point, *viz.* the tenure, the Constitution is very clear. I think, the question of tenure can work both ways. I am one of those who believe, once we choose our leadership, whether 'A' or 'B' or 'C', whether 'X' or 'Y' or 'Z'—I understand the irony in the amendment of Shri Banerjee—that it should be left entirely to the leadership. Nobody can find out and nobody is a very good judge of himself. It is a matter of leadership. I would, therefore, urge upon Shri Bibhuti Mishraji at the time when he replies to the debate to kindly take note of the submissions I have made to the Chair and give his considered views.

श्री भानसिंह भौरा (भटिंडा) चेयरमैन साहब, मिश्रा जी ने यह जो बिल पेश किया है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके पीछे जो भावना है वह अच्छी है लेकिन सवाल यह है कि यह हो सकता है या नहीं। दो टर्म्स की बात कैसे हो सकती है जब तक कि यह मिन्टम है। हमारे यहां एलेक्शन होता है, लोग चुनकर प्रतिनिधि भेजते हैं और उसके बाद एक लीडर चुना जाता है। जो लीडर आफ दि हाउस होता है उसका डिस्क्रीशन है किसको मिनिस्टर रखे किसको न रखे। इन्होंने इसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लिखा मिनिस्टर्स का नाम लिख दिया। जो पार्टी इन पावर होती है उसका

[श्री भानसिंह भौरा]

काम है इस चीज को देखना कि कितनी दफा किसी को मिनिस्टर रखा जाये। इस बात का फैसला तो आप पार्टी में ही कर सकते है। इस फैसले का कोई ज्यादा सम्बन्ध हाउस से नहीं है। आप हमारे बनर्जी साहब का अमेन्डमेन्ट ही मान ले तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं समझता हूं असल बात यह है कि यहां पर इतने दिन हो गये आपको लेकिन चांस मिला नहीं इसलिए इस बिल को ले आये।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर्स और मेम्बर्स में फर्क क्या पड़ता है। हम सभी यहां पर चुनकर आते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं बनते वह एम०पी० रहते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर बन जाते है उनमें क्या फर्क आ जाता है एक मिनिस्टर और मेम्बर में क्या फर्क होता हैं—यह देखने की बात है। जब कोई मिनिस्टर हो गया उसको हम टेलीफोन करते हैं तो मालूम होता है सोये पड़े हैं या बाथरूम में हैं। वह मिलते ही नहीं हैं। मिनिस्टर को दो-चार बार टेलीफोन करने के बाद मेम्बर सोचता है कि हो क्या गया हैं। उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलता है और अगर टाइम दे भी दिया तो भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जाने पर पता लगता है वे बाहर चले गये है। यह जो फर्क मिनिस्टर और मेम्बर में आ जाता है वह दूसरे मम्बरों को महसूस होता है और वह सोचता है यह क्या हो गया। अब यह जो फर्क आ जाता है, सवाल है उसका कैसे मिटाया जाये। इस सिस्टम में तो यह फर्क मिट नहीं सकता है। इस सिस्टम को ही बदलने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम सोशलिज्म की तरफ कहा जा रहे हैं? सिर्फ बातें सोशलिज्म की कर रहे हैं। हां, दिल बहलाने के लिए यह खयाल अच्छा है वैसे कुछ भी नहीं है। सोशलिज्म की कौन सी बात हुई है? सिक मिल्स के ले लेने से या लैंड सीलिंग कर देने से सोशलिज्म नहीं आ जायेगी। क्या लैंड सीलिंग का कानून भी इम्प्लीमेंट हुआ है? जो बीस सूत्री कार्यक्रम है वह तो सोशलिज्म नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम बड़े बड़े लोगों और जागीरदारी के खिलाफ एक डायरेक्शन है लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है? आपने पदयात्रा की होगी, जो पदयात्रा हुई है वह हमने भी पंजाब में देखी है। जहां चीफ मिनिस्टर जाते हैं वहां पहले गाने वाली जाती हैं। गाने वाली गाना गाती हैं, चीफ मिनिस्टर गुजर गये और पदयात्रा हो गई। ऐसी पद-यात्रा हुई है, लेकिन क्या किसी ने लोगों से पूछा कि आपको तकलीफ क्या है? आप बतलाइये इसका क्या इम्पलीमेन्टेशन हुआ है?

आप ने बीस-प्वाइन्ट प्रोग्राम को लेकर खूब प्रचार किया कि हम ने हाउस साइट्स अलाट की हैं—लेकिन अफसोस यह है कि वह 25 परसेन्ट को भी नहीं मिली। मैंने अपने यहां के चीफ मिनिस्टर साहब से कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी लिख कर दिया कि हम ने खुद सर्वे किया है, आप 25 परसेन्ट को भी एलाटमेन्ट नहीं दिखला सकते। आप इस मामले में किस पर डिपेण्ड करते हैं—अपने अफसरों पर। आपका जो ढांचा है, आई० ए०एस०, आई०पी०एस० अफसरों का, बस जो कुछ वह कह देता है, आप उसको मान लेते हैं। वे लोग आपके सामने तो यस-सर कहेंगे लेकिन वहां जाकर जो इनका जी करेगा, वह करेंगे। उनकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करते हैं और उनकी ही रिपोर्ट को माना जाता है। अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो प्रेस-सेन्सर लगा हुआ है, हमारी बात नहीं छापी जायेगी, जो डिप्टी कमिश्नर कहेगा, वह सब अखबार में आ जायेगा। उनसे पूछा जायेगा—कितने प्लाट दे दिये, वह कह देंगे—इतने प्लाट दे दिये। हम कहेंगे—दिखलाओ, कहां दिये—यह बात प्रेस में नहीं आयेगी।

इस तरह से आपके 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम का इम्प्लीमेन्टशन हो रहा है।

आप लैंड सीलिंग को देखिये—बतलाइये, कहां लैंड सीलिंग हुआ है? मरे लैंड-वार्ड वैसे-के-वैसे बैठे हुए हैं, किसी के कुत्ते के नाम जमीन है, किसी की भैंस के नाम जमीन है, किसी ने घोड़े के नाम पर जमीन ट्रांस्फर कर दी है और आप कहते हैं कि लैंड सीलिंग हो गया है, लेकिन प्रेक्टिस में क्या हो रहा है—इसको देखिये। समाजवाद नाम लेने से नहीं आ जायगा। आप बतलाइये—प्रापर्टी राइट्स को आप ने क्यों खत्म नहीं किया? अर्बन सीलिंग की बात कहते-कहते, उनमें से क्या निकला—अर्बन-लैंड-सीलिंग—यह आप के समाजवाद की बात है। कुछ नहीं हो रहा है, हां कुछ बातें जरूर हो रही हैं, हम कहते हैं, चलो, बातें तो हो रही है। हमारे एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यह तो हमारा प्रोग्राम है, लेकिन आप हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मिश्र जी, जो एक दफा मिनिस्टर बन जाता है, वह बदल जाता है। पहले राजे-महाराजे हुआ करते थे, जो वे किया करते थे, उन्हीं बातों को इन्होंने सीख लिया है। हम टेलीफोन करते हैं तो कहा जाता है—सो रहे हैं, बाथरूम में हैं, हम लोगों से बात करना भी पसन्द नहीं करते। उनकी जिन्दगी में तबदीली आ गई है. . .

श्री एस० एम० बनर्जी . बात करने लगेंगे तो काम कुछ नहीं होगा, दिन भर लोग मिलते ही रहेंगे।

श्री भान सिंह भौरा : यह जो हमारे और उनके बीच में फर्क पड़ गया है, मिनिस्टरों में, मेम्बर पार्लियामेन्ट में, एम०एल०ए० में, यह खत्म होना चाहिए, जिस तरह से जनता में रहते आये हैं उसी तरह से जनता के सम्पर्क में रहें, तब काम हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा।

आप ने इस बिल में दो-टर्म्ज की बात कही है—यह भी बहुत ज्यादा है। जो पैसा कमाने वाले हैं, वे टो थोड़े से अर्से में ही करप्शन से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, किसी कम्पनी में हिस्से डाल कर, अपने लड़के को बड़ी-बड़ी कम्पनियों में भेज कर, बड़ी जायदादें बना लेते हैं, बंगले बना लेते हैं, कोठियां बना लेते हैं। हम ने पंजाब में देखा—लक्ष्मण सिंह गिल की सरकार बनी, 6–7 महीने में ही इन्होंने इतना बना लिया कि दोबारा किसी को मिनिस्टर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो टर्म में तो दस साल होते हैं, उन्होंने तो वह काम 6–7 महीनों में ही कर लिया। मै पूछना हू—आप करप्शन के मामलों को क्यों नहीं लेते हैं, इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? आप चाहे तो कर सकते है—प्रापर्टी राइट को खत्म कर दीजिये। जो प्रापर्टी बनाता है उससे हिसाब ले ले—आप कहते हैं कि रिटर्न भर कर दे दो या रिटर्न फाइल कर दो—तो रिटर्न भरने वाला भी ऐसा है और देखने वाला भी ऐसा है। अगर आप रिटर्न भरते हैं तो हमें देखने के लिए दीजिये, तब तो ठीक है लेकिन रिटर्न जो भरता है वह वहां पहुंचती है या नहीं और ठीक से देखी जाती है या नहीं, इसका पता नहीं है। यह रिटर्न तो ऐसे ही हो गई जैसे कि लैंड सीलिंग की रिटर्न भरी जाती हैं। इसलिए यह जो मामला है, इस पर आपको जरा सोचने की जरूरत है।

18.00 hrs.

इसके बाद जो सैलरी का मामला है, आप कहते हैं कि 1500 रुपये सैलरी दी जाये। मैं कहता हू कि आप दो हजार रुपये सैलरी दीजिये, ढाई हजार रुपये सैलरी दीजिये मगर दूसरी जो करप्शन की बात है, वह खत्म होनी चाहिए। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जैसे कि पहले नवाब साहब के यहां जो अफसर लगते थे, वे कहते थे कि हमें कोई सैलरी नहीं लेनी है, आप हमें अपने यहां रख लो, हम अपना इन्तजाम अपने आप कर

[श्री एस० एम० बनर्जी]

लेंगे। सैलरी लेने की बात तो दूसरी रही, वे कहते थे कि आप हम से 200 रुपये और ले लो लेकिन अपने यहां रख लो। इसलिए यह जो 1500 रुपये सैलरी देने के लिए कहा गया है मैं कहता हूं कि आप चाह दो हजार रुपये सैलरी दे दें और चाहे ढाई हजार रुपये दे दें लेकिन दूसरी जो बातें होती हैं व खत्म होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि समाजवाद हो तो आप को ड्रास्टिक स्टेप्स लेने चाहिए। आप ने कान्सटीट्यूशन में एमेंडमेंटस लाने के लिए जो कमेटी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में बिठाई है, उसकी रिपोर्ट जब आयेगी, तो हम देखेंगे कि आप कान्सटीट्यूशन में क्या तब्दीलियां करते हैं, जिससे प्रोपर्टी राइट खत्म हो जायें, मोनोपली खत्म हो जाये या और जो दूसरी वाइसेज है, व खत्म हो जायें। अगर वह एसा करती है तब हम समझेंगे कि ईमानदारी से आप इसको करना चाहते हैं वर्ना चाहे आप एक दफ़ा दो दफ़ा या तीन दफ़ा ऐसे रेज़ोलूशन लायें या बिल लायें, यह साइडट्रैक करने वाली बात होगी।

इसलिए चेयरमैन, साहब मैं यह समझता हूं कि अगर यह बिल पास करना है, तो एक काम्प्रोहैंसिव बिल आना चाहिए। जब आप संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर संशोधन लाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया और मैं आशा करता हूं कि काम्प्रीहैंसिव बिल आयेगा।

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : सभापति महोदय, मिश्र जी के संविधान संशोधन विधेयक पर जो चर्चा चल रही है . . .

सभापति महोदय : अब आप आयन्दा सेशन में अपनी स्पीच जारी रखें।

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 24, 1976/Jyaistha 3, 1898 (Saka).

M. G. I. P. N. D.—P M R—925 LS JC—1338—12-7-76—978.